न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—318/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/318)

1. रामदेव पुत्र श्री हालू
2. गुमानी पुत्री श्री हालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 गोपाल पुत्र गुमानी(मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1/1 श्रीमती कमला पत्नि श्री गोपाल
   2/2 श्रीमती बसंती पुत्री गुमानी
3. जमनी पुत्री श्री हालू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 रामचन्द्र पुत्र जमनी
   3/2 श्रीमती रतनी पुत्री जमनी
   3/3 मीरा पुत्री जमनी
4. गंगादेवी पुत्री श्री हालू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   4/1 राजू पुत्र श्रीमती गंगादेवी
5. कमलादेवी पुत्री श्री हालू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/1 मानसिंह पुत्र श्री पदमा (कमला देवी पत्नि मानसिंह)
   5/2 रणजीत पुत्र कमलादेवी
   5/3 जयसिंह पुत्र कमलादेवी
   5/4 भरत पुत्र कमला देवी
   5/5 बीरी पुत्री कमला देवी
6. श्रीमती सोनी पत्नि श्री छोटू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/1 मोसमी पुत्री छोटू
   6/2 शाना पुत्री छोटू
   6/3 नारायणी पुत्री छोटू
   6/4 नारंगी पुत्री छोटू
   6/5 मेवा पुत्र छोटू
   6/6 रतन पुत्र छोटू
   6/7 प्रकाश पुत्र छोटू
   6/8 भंवरलाल पुत्र छोटू(मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/8/1 गंगा पत्नि भंवरलाल
   6/8/2 सांवरा पुत्र भंवरलाल
   6/8/3 शैरू पुत्र भंवरलाल
   6/8/4 जाना पुत्री भंवरलाल
   6/8/5 मोहनी पुत्री भंवरलाल
   6/8/6 ममता पुत्री भंवरलाल

   समस्त जाति रावत, निवासी सेदरिया तहसील व जिला अजमेर जरिए मुख्तयारआम रामदेव पुत्र श्री हालू जाति रावत, निवासी सेदरिया हाल निवास रिछमालिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 16.10.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 67/2013

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—30.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दौराने वाद अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए वादीगण/अपीलांट्स को कई अवसर प्रदान करने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद पत्र दिनांक 16.10.2024 को निरस्त फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण/अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजीयात है जो बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी बनाते समय सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन बेचान मुंतकिल किए बिना अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा कई मर्तबा साक्ष्य प्रस्तुती का प्रयास किया गया लेकिन नियत पेशी के दिन किसी न किसी कारण से साक्ष्य ग्रहण नहीं की जा सकी एवं प्रकरण मात्र बंदोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का था जो रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं ही सिद्ध था। यदि वाद पत्र गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाता है तो वादीगण/अपीलांट्स अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी भूमि से महरूम हो जाएगे जिससे अपीलांट्स को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिससे वाद पत्र को गुणावगुण पर निर्णित फरमाए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जाना न्यायोचित है। वादीगण/अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित फरमाने हेतु प्रति प्रेषित फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री मुर्तिब नहीं की गई है लेकिन प्रकरण अदम पालना में निरस्त फरमाया गया है जो अमाउण्ट टू डिक्री होने के कारण निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री माना जाकर अपील ग्रहण किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि दिनांक 28.5.2018 को पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर वादी साक्ष्य हेतु आगामी दिनांक 31.7.2018 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 19.12.2018, 22.5.2019, 31.7.2019, 25.9.2019, 13.11.2019, 11.12.2019, 22.01.2020, 16.12.2020, 10.2.2021 को वादी साक्ष्य हेतु समय दिया गया इसके पश्चात दिनांक 24.2.2021, 7.4.2021, 11.5.2022, 18.9.2024 को अंतिम अवसर दिए जाने के उपरांत भी वादी साक्ष्य प्रस्तत नहीं की गई। अतः जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 19.12.2018 के पश्चात लगभग 9 अवसर दिए जाने व 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग 9 अवसर प्राप्त किए जाने के उपरांत भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। इसके बावजूद भी वादीगण/वकील वादीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। राजकीय अभिभाषक ने बहस में अवगत कराया कि उक्त प्रकरण की अपील पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह रिवीजन का प्रकरण है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने किए गए निर्णय में यह कथन अंकित किए कि *" वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण का वाद न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। "* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 16.10.2024 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय पैरोकार द्वारा वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है व प्रकरण में अपीलांट/वादी को 9 अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी अपीलांट/वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई इस आधार पर प्रकरण में पांच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद यह कह कर खारिज किया गया कि अधिवक्ता व वादी उक्त वाद को चलाने में रूचि प्रकट नहीं किए जाने से वाद खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु समय दिया जाना चाहिए था यदि वह इसके उपरांत भी साक्ष्य

प्रस्तुत करने में विफल रहते तो न्यायालय को अपीलांट/वादी की साक्ष्य बंद किए जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था और पत्रावली अगले स्टेज पर स्थापित की जानी चाहिए थी। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अदम पालना में निरस्त किया गया है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जावे अगर फिर भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो साक्ष्य बंद किया जाकर (सीपीसी) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर